तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
31/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य चुनाव राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 6.12.23 को पेश हो।
6.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 20.12.23 को पेश हो।
20/12/23	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 9-1-24 को पेश हो।
9-1-24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस हेतु अवसर चाहा। वकील अप्रार्थी ने फर्द की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 11.1.24 को पेश हो।
11.1.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा० पत्र स्वीकार हेतु सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 31.1.24 को पेश हो।
31.1.24	पत्रावली पेश हुई [illegible] पक्षकारान उप० है। बहस [illegible] स्वीकार किये जाने हेतु सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा० पत्र में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथ्यों को हुए ताम्र पत्र के अनुवाद को पढ़कर सुनाया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मंदिर हमारा था, जागीर ने ताम्र पत्र द्वारा हमें संभलाया था, अप्रार्थीगण का मंदिर से कोई लेना-देना नही है। सेटलमेंट की जमांबदी एवं पंचायत का प्रमाण पत्र भी है जो प्रार्थी के पुजारी होने का प्रमाण है। चूंकि अप्रार्थीगण प्रार्थी को काश्त नही करने दे रहे है, अतः T.I. भी दी जावें एवं भूमि रिसीवरी भी की जावें।

वकील अप्रार्थी ने जवाब में अपने जवाब प्रा० पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुजारी भंवरलाल ने एक भी दिन मंदिर की सेवा पूजा नही की, मंदिर धाकड़ समाज गुढादेवजी का है। दावा पेश किये जाने के दिन भंवरलाल का क्या status था?, यह मूल प्रश्न है, अगर भंवरलाल पुजारी नही है तो दावा पेश नही कर सकता। जमांबदी में मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम से है, परन्तु बाद में मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी नाम लिया गया है, जबकि ग्राम गुढादेवजी में श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम का कोई मंदिर नही है। गलत नाम से प्रस्तुत [illegible] प्रा० पत्र खारिज होने योग्य [illegible] प्रा० पत्र की चरण[illegible] हुए निवेदन किया [illegible] भंवरलाल के पूर्वजों ने न [illegible]कर धाकड़ समाज के लोगों ने बनाया था, और मूर्ति की स्थापना की थी। मंदिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 16:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के पुजारी होने या नही होने के संबंध में एक दावा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। मंदिर निर्माण के साथ ही मंदिर के बाहर लगे शिलालेख की नकल पेश की जिसमें उल्लेख है कि मंदिर की सेवा धाकड़ समाज के पटेलो को संभलायी गयी है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज पुजारियों का नाम प्रार्थीगण के नाम इसलिए आया है क्योंकि वे उस समय मंदिर की सेवा पूजा करते थे। शिलालेख का अनुवाद, सनद का अनुवाद पढ़ा। धाकड़ समाज के जागा की पोथी का अनुवाद पढ़ा। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि मेरा अनुवाद, अनुवादक द्वारा किया हुआ एवं नोटेराईज्ड है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ताम्र पत्र का Typed Version है, जो कि authentic अनुवाद की श्रेणी में नही आता है। इस ताम्र पत्र के अनुवाद मे अनुवादक का नाम ही नही है। ताम्र पत्र में वर्णित कथन एवं प्रा०पत्र की चरण संख्या 4 मे वर्णित कथन एक दूसरे से match नही करते है क्योंकि चरण संख्या 4 मे वर्ष संवत् 1807 एवं 1875 लिखा है, जबकि ताम्र पत्र का पट्टा 1831 का है। एक ही मंदिर के संबंध मे 2-2 ताम्र पत्र अलग अलग समय के बनाए हुए है। अपने जवाब के समर्थन में [illegible] 26/5/21 का पंचायत द्वारा जारी [illegible] फोटो, विग्रह [illegible], मंदिर के धाकड़ समाज के पंचों [illegible] का रिकार्ड, [illegible] की गई कार्यवाही संवत् 2052 का लेख, संवत् 2052 के रजिस्टर का प्रस्ताव सं. 1 मे पुजारी को

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 16:34:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हटाने के संबंधित प्रस्ताव आदि पेश किये। पुजारी हटाने को संबंधित प्रस्ताव 38 वर्ष पुराना दस्तावेज है। वकील अप्राथी ने अपनी बहस प्रा०पत्र रिसीवर मे आगे निवेदन किया कि दावा प्रस्तुति एवं प्रा० पत्र प्रस्तुति की तारीख को प्राथी उस मंदिर के पुजारी भी नही थे एवं उनका जमीन पर कब्जा भी नही था। इस प्रकरण में यह देखना है कि क्या धाकड़ समाज मंदिर की प्रोपर्टी को alineate करने की कोशिश कर रहा है अथवा नही। यहां धाकड़ समाज द्वारा न तो मंदिर को alineate किया जा रहा है, न ही मंदिर की जमीन की उपज का गलत उपयोग किया जा रहा है। मंदिर की जमीन in medio भी नही है। यह भी देखना है कि क्या धाकड़ समाज मंदिर के हितो की रक्षा कर पा रहा है, या नही। कुंआ की बंधाई का लेख पढ़ा, कुएं को भी धाकड़ समाज ने ही खुदवाया मरम्मत करवाया। संवत् 2042 मे ही पुजारी गोपीदास को हटा दिया था, एवं अन्य पुजारी सत्यनारायण को रख दिया था जो सन् 1993 तक पुजारी रहा। सन् 1985 से भंवरलाल, जो स्वयं को पुजारी कह कर आया है, ने सेवा पूजा नही की क्योंकि इसके पिता को ही हटा दिया था। [illegible] भूमि पर भी धाकड़ समा[illegible] रहा है, धाकड़ समाज [illegible] जुताया जा रहा [illegible] दस्तावेज भी पेश किये है। वकील अप्राथी ने अपनी बहस के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त	

उपखण्ड अधिकारी,
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	RLW 2007 (2) RJ Page 779 to 782, RRD 1987 Page 128, 129, RRD 1990 Page 188 to 192, RRD 1994 Page 118 to 122 आदि पेश किये। वकील प्रार्थी ने प्रतिउत्तर में बहस करते हुए निवेदन किया कि जवाब प्रा०पत्र की चरण सं. 4 मे कथन किया कि मंदिर हीरा/शमा ने बनवाया। परन्तु इस संबंध मे दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही कराया। साथ ही कपडे पर 1679 मे सनद की बात कही है जबकि कपडा 400 साल तक नही टिक सकता। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रा०पत्र रिसीवर को निर्णित करने मे यह देखा जाएगा कि strong दस्तावेजी साक्ष्य किसके पक्ष मे है। कार्यवाही रजिस्टर की बात कही गई है, उन्हे कोई भी फर्जी तरीके से बना सकता है, अतः ये strong दस्तावेजी साक्ष्य नही है। एक ही भूमि के संबंध मे दो व्यक्ति अधिकार घोषणा करे तो इस स्थिति में मंदिर की जमीन की रिसीवरी अल्प ~~वयस्क~~ मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन मे विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त यथा RRD 1994 Page 106, RRD 1999, Page 65, RRD 2003 Page 542, RRD 2020 Page 193 आदि पेश किये। हमने प्रा०पत्र, [illegible] प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, [illegible] आदि का अवलोकन [illegible] प्रा०पत्र मे वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रापक (रिसीवर) की नियुक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के लिए प्रतिपादित RT Act की धारा 212(2) का अवलोकन किया। प्रापक की नियुक्ति के लिए प्रतिपादित सिद्धान्त "न्यायालय को, वादी द्वारा यह सबूत देने पर कि वह वाद में उसके सफल होने का प्रथम दृष्टया अवसर है, इसके लिए सिवाय प्रापक नियुक्त नही करना चाहिए," के सन्दर्भ में इस प्रा०पत्र मे प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेज से प्रथम दृष्टया विवादित आराजी पर कब्जा-काश्त एवं मंदिर की सेवा-पूजा का कार्य धाकड़ समाज ग्राम गुढादेवजी द्वारा किया जाना प्रकट होता है। अतः यह बिन्दु प्रापक नियुक्त नही किये जाने के पक्ष में है। प्रापक नियुक्ति के लिए प्रतिपादित सिद्धान्त "वादी केवल यही दर्शित न करे कि सम्पत्ति के लिए प्रतिकूल और विवादास्पद दावे है, परन्तु वह कोई आपत्ति या खतरा या हानि भी दर्शित करे, जो तुरन्त कार्यवाही की मांग करती हो और उसके अपने अधिकार के बारे मे वह युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट और संदेह से परे हो, खतरे (भय) का तत्व विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है," के सन्दर्भ में इस प्रा०पत्र रिसीवर बाबत मे मंदिर मूर्ति के रख रखाव, सेवा-पूजा, भूमि पर किसी प्रकार का खतरा या सम्भावित हानि होने का कोई तथ्य प्रार्थी साबित नही कर पाये है [illegible] रिकार्ड दस्तावेजों के [illegible] की सेवा पूजा, पुजारी की व्यवस्था, भूमि की उपज का उपयोग [illegible] समाज ग्राम गुढादेवजी द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है, जिसका किसी प्रकार से दुरुपयोग होने या भूमि के विक्रय/बैंचान या हस्तान्तरण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	करने का खतरा होने का कोई भी बिन्दु प्रार्थी साबित नही कर पाये है। अतः खतरे (भय) के तत्व विचार करने का महत्वपूर्ण बिन्दु प्रकट नही होने के कारण प्रापक नियुक्त किया जाने के पक्ष में नही है। यह कि "प्रापक वहां नियुक्त नही किया जावेगा, जहां उसका प्रभाव "वास्तविक" कब्जे से प्रतिवादी को वंचित करना (हटाना) होता हो, क्योंकि यह अपूरणीय दोष कारित कर सकता है। यह भिन्न होगा, जहां सम्पत्ति अधरझूल (in medio) दर्शित हो," के सन्दर्भ में इस प्रकरण में सम्पत्ति अधरझूल में नही है, मंदिर की सम्पत्ति व भूमि पर धाकड़ समाज ग्राम गुढादेवजी का कब्जा एवं आधिपत्य होना स्पष्ट है। इस प्रकरण में कब्जे से प्रतिवादी को हटाने के उद्देश्य से प्रापक नियुक्त किये जाना न्यायालय उचित नही समझता है। प्रापक नियुक्ति के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार "न्यायालय प्रापक नियुक्ति के आवेदन पर आवेदन करने वाले पक्षकार के आचरण को देखता है और साधारणतया हस्तक्षेप करने से मना कर देगा, जब तक कि उसका आचरण कलंक से मुक्त न हो जाए" के सन्दर्भ में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] रिपोर्ट (?) सं. 159 दि० 30/11/2022 अन्तर्गत [illegible] पुलिस थाना [illegible] 2022 [illegible] प्रकट होता है कि [illegible] पर [illegible] लाल बैरागी उपखण्ड अधिकारी नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 15:34:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ने धाकड़ समाज के लोगों की मंदिर कमेटी के सदस्यों के नाम हर रिपोर्ट मे कोई न कोई बहाना बनाकर नाम लिखवाता रहता है जो FR में अप्रमाणित पाये जाने से अनुसंधान से मामला अदम वकू झूठ का पाया गया। अतः न्यायालय प्रापक नियुक्त करने के आवेदन करने वाले पक्षकार के आचरण को देखते हुए प्रकरण मे हस्तक्षेप करते हुए प्रापक नियुक्त किया जाना उचित नही समझता है। प्रापक की नियुक्ति के सम्बन्ध मे 1970 RRD 35। में अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रापक की नियुक्ति "कठोरतम" उपचारों मे से एक है। अतः न्यायालय उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रापक वास्ते रिसीवर नियुक्त करने बाबत को अस्वीकार किये जाने के आदेश देता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.06 16:34:34 IST
Reason: SelfAttested